

रजिस्ट्री सं. डी. (जी.) 187  
REGISTERED NO. D. (D.) 187

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली प्रशासन  
DELHI ADMIN

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3]  
No. 3]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 1981/माघ 2, 1902  
DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 1981/MAGHA 2, 1902

## भाग III PART III

विधिक स्थानीय निकायों की अधिसूचनाएं  
Notifications of Statutory Local Bodies

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली  
DELHI ADMINISTRATION, DELHI

स्थानीय स्वाशासन विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 9 जनवरी, 1981

संवत्स फा० 10/16/80-स्था० स्था०—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अक्टूबर, 1966 की अधिसूचना संख्या 3/6/66-दिल्ली के साथ पठित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66वां) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली में 35-मैम्बर कैम्ब्रिज थियेटर कम्पनी, यू० के० द्वारा शो में भाग में लाए जाने वाले सामान पर उक्त अधिनियम द्वारा लगाए सीमाकर के भुगतान को छूट देते हैं। परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक प्रेषित माल के साथ अवर सचिव, इण्डियन कांसल आफ कलचरल रिलेशंस, आजाद भवन, नई दिल्ली की मोहर के अधीन इस आशय का प्रमाणपत्र लगा हो कि माल केवल शो में प्रदर्शित करने के लिये है और सीमाकर अधिकारी दिल्ली, सीमाकर प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना संघ राज्य क्षेत्र में इसका विक्रय नहीं किया जाएगा या किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं किया जाएगा या रखा नहीं जाएगा।

LOCAL SELF GOVT. DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 9th January, 1981

No. F. 10/16/80-LSG.—In exercise of the powers conferred by section 181 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) read with the Government of India Ministry of Home Affairs, Notification No. 3/6/66-Delhi dated the 19th October, 1966, the Lt. Governor, Delhi hereby exempts from payment of Terminal Tax, the goods imported by the 35-member Cambridge Theatre Company from U.K. for

499 DG/80—1

display of their shows at Delhi, provided that such consignments are accompanied by a certificate from the Under Secretary, Indian Council of Cultural Relations, Azad Bhavan, New Delhi to the effect that the goods are meant for use in the shows only and not for sale or any other purpose or will not be retained in the Union Territory of Delhi without prior approval of the Terminal Tax Officer, Municipal Corporation of Delhi.

दिल्ली, 12 जनवरी, 1981

संख्या एफ० 11/8/76-एल एस जी (पी टी)/325—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 3/6/66-दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर, 1966 के साथ पठित, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 480 की उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार उप-राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किये जाने पर, दिल्ली राजपत्र के भाग II में दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना संख्या एफ० 2/2/5/71-एलएसजी दिनांक 6-4-1972 के द्वारा प्रकाशित, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दि० नं० नि०) आवासीय भवन ऋण विनियम, 1972 में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति/दिल्ली नगर निगम के अधिकारों का प्रयोग करते हुए निगमायुक्त के निर्णय संख्या 112/डीईएससी दिनांक 24-5-80 तथा 539/डीईएससी दिनांक 10-12-80 तथा संकल्प संख्या 728 दिनांक 29-10-1979 के द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 98 की उप-धारा (1) की धारा (सी) के अन्तर्गत दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, दिल्ली नगर निगम द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों को एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है—

संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्ष तथा प्रारम्भ—(ए) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दिल्ली नगर निगम) आवासीय भवन ऋण (संशोधन) विनियम, 1980 कहा जाए।

(ब) ये तत्काल लागू होंगे।

(7)

2. विनियम 3 का प्रतिस्थापन--दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दिल्ली नगर निगम) आवासीय भवन ऋण विनियम, 1972 (जिन्हें इसके पश्चात् "कथित विनियम" कहा जाएगा) में, वर्तमान विनियम संख्या 3 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात्:--

"3. ऋण स्वीकार करने की शर्तें--अग्रिम धन की स्वीकृति के लिए प्रत्येक आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:--

(ए) बनाए जाने वाले/खरीदे जाने वाले मकान की लागत (भूमि/मकान की रजिस्ट्री में उल्लिखित अनुसार आवासीय प्लॉट की लागत के अतिरिक्त) संस्थान के अधिकारी / अन्य कर्मचारी के वेतन के 75 गुणा से अधिक 1,25,000 रुपये से, जो भी कम हो, अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आवेदक के किसी अन्य सरकारी स्रोत अर्थात् पुनर्वास विभाग, किसी क्षेत्रीय अधिकारी राज्य आवासीय योजना से मकान के अधिग्रहण के लिए अग्रिम धन अथवा कोई ऋण न लिया हो। जहाँ भूमि/मकान (प्लॉट) की रजिस्ट्री में उल्लिखित अनुसार, आवासीय प्लॉट की लागत 50,000 रु० से अधिक न हो, चाहे यह संस्थान के अधिकारी/अन्य कर्मचारी के वेतन के 75 गुणा राशि से अधिक हो, उस स्थिति में भी अग्रिम धन स्वीकार किया जा सकता है:

परन्तु, तथापि, जहाँ किसी आवेदक द्वारा पहले ही ऋण अग्रिम ली गई धनराशि अथवा इन विनियमों के अधीन ग्राह्य राशि से अधिक न हो तो वह इन विनियमों के अन्तर्गत अग्रिम धन के लिए, इस शर्त पर, कि वह संस्थान की बकाया ऋण, अग्रिम धन आदि का (उस पर देय ब्याज सहित, यदि कुछ है) तुरन्त एकमुश्त भुगतान करने का वचन देता है, आवेदन कर सकता है। तथापि जहाँ पति एवं पत्नी दोनों केन्द्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक संस्थान, अर्द्ध-सरकारी संस्थान अथवा स्थानीय निकायों में नियुक्त हैं, उस स्थिति में मकान के निर्माण अथवा प्लॉट की खरीद के लिए लागत उच्चतम सीमा का हिसाब लगाने के आशय से पति एवं पत्नी दोनों के वेतन पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि लागत उच्चतम सीमा पति एवं पत्नी दोनों के 75 माह के वेतन अधिकतम 1,25,000 रु० अथवा 50,000 रु०, जो भी अधिक हो, से अधिक न हो। तथापि अधिकतम आवासीय भवन अग्रिम धन की राशि अग्रिम धन के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी के 75 माह के वेतन की राशि तक सीमित होगी। उस स्थिति में, जहाँ संस्थान का कोई अधिकारी/अन्य कर्मचारी किसी आवासीय प्लॉट अथवा किसी मकान के अधिग्रहण/निर्माण के सम्बन्ध में इन विनियमों के अन्तर्गत अग्रिम धन राशि लेने के अतिरिक्त अपने भविष्य निधि खाते से अन्तिम रूप से पैसा निकलवाना चाहता हो (अथवा पैसा निकलवा लिया हो), इन विनियमों के अन्तर्गत स्वीकृत अग्रिम धन की कुल राशि तथा भविष्य निधि से निकलवाई गई राशि मासिक वेतन के 75 गुणा राशि अथवा 1,25,000 रु०, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(बी) न तो आवेदक के पास तथा न ही आवेदक की पत्नी/पति अव्यक्त बच्चों के पास अपना कोई मकान होना चाहिए तथापि इस शर्त में संस्थान द्वारा विशेष परिस्थिति में छूट दी जा सकती है जैसे कि उदाहरण के रूप में, यदि आवेदक अथवा आवेदक की पत्नी/पति के अव्यक्त बच्चों का किसी गांव में अपना मकान है, और आवेदक का अन्य सम्बन्धियों आदि के साथ किसी मकान में साक्षात् है और वह अपने लिए एक अलग मकान बनाना चाहता है।

(सी) खरीदे अथवा बनाये जाने वाले मकान का क्षेत्रफल 22 वर्ग मीटर से कम न हो।

(डी) उपरोक्त (बी) पर उल्लिखित शर्त के होते हुए भी संस्थासित दिल्ली क्षेत्र में किसी कर्मचारी द्वारा पहले ही से लिये गये सभी आवासीय मकानों के पुनः नवीकरण सहित, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन एवं संवर्द्धन के लिए निगम की स्वीकृति के साथ भी ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।"

2. विनियम 4 का प्रतिस्थापन--कथित विनियमों में, वर्तमान विनियम संख्या 4 के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जावेगा अर्थात्:--

"4 उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम धन की राशि स्वीकार की जा सकती है--

अग्रिम धन की राशि निम्नलिखित के लिए स्वीकार की जा सकती है--

(ए) किसी नये मकान के निर्माण के लिए (इस आशय से भूमि के उपयुक्त प्लॉट के अधिग्रहण सहित), या तो काम करने के स्थान पर अथवा जहाँ संस्थान का अधिकारी/कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के पश्चात् बसना चाहता हो। विनियम 3 में दी गई शर्तों के अन्तर्गत बने बनाये मकान या प्लॉट को खरीदने के लिये अग्रिम धन की अधिकतम राशि जो बने-बनाये मकान या प्लॉट की वास्तविक लागत के बराबर हो या मासिक वेतन के 75 गुणे या इन विनियमों के विनियम-5 के अधीन ग्राह्य राशि में से जो भी कम हो, के बराबर स्वीकृत की जा सकती है। कम आय वाले कर्मचारियों के मामलों में, मकान के निर्माण/मकान/प्लॉट की खरीद की कुल लागत (जिसमें भूमि की लागत शामिल नहीं है) 50,000 रु० से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चाहे वह 75 माह के वेतन से ज्यादा हो जाए।

(बी) वर्तमान मकान में आवासीय स्थान बढ़ाने के लिए अथवा पुराने आवासीय भवन के पुनः नवीकरण सहित जिसका स्वामी संस्थान का अधिकारी/कर्मचारी हो (अथवा जिसका स्वामित्व उसके/उसकी पत्नी/पति का संयुक्त रूप से हो) बशर्ते विद्यमान संरचनाओं की (भूमि रहित) कुल लम्बाय, तथा प्रस्तावित बड़ोतरी तथा विस्तार की कुल लागत उसके मासिक वेतन के 75 गुणे अथवा 1,25,000 रु०, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। अग्रिम धन से मामलों में भी स्वीकार किया जा सकता है जिनमें भूमि रहित वर्तमान संरचनाओं की कुल लागत तथा प्रस्तावित बड़ोतरी एवं विस्तार की कुल लागत 50,000 (पचास हजार) रु० से ज्यादा न हो, चाहे वह संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी के वेतन के 75 गुणे से ज्यादा ही क्यों न हो जाए।

(सी) जैसा कि कथित विनियम के विनियम 3 (ए) में दिया है सरकारी स्रोत अथवा गैर-सरकारी स्रोत से लिये गये ऋण अथवा अग्रिम धन के पुनः भुगतान के लिये। बशर्ते स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि अन्य ऋण पूर्ण रूप से अपने मकानों के निर्माण के लिये ही अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये थे। तथापि यह सुविधा उस मकान के लिये नहीं मिलेगी जिसका निर्माण कार्य पहले ही चालू हो गया हो।

(डी) भवन निर्माण अग्रिम निम्न शर्तों पर केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिल सकेगा जोकि प्राइवेट पार्टियों से मकान/प्लॉट खरीदने के इच्छुक हों:--

(1) जिस मकान/प्लॉट को खरीदना है वह नया हो एवं उसमें कोई न रहता हो।

- (2) आवेदक को मकान/प्लैट का मूल्यांकन पंजीकृत मूल्यांकन-कर्ता द्वारा करवाना पड़ेगा और मूल्यांकन फीस की अदायगी आवेदक को स्वयं ही करनी पड़ेगी।

3. नये विनियम 4-ए तथा 4-बी को शामिल करना—विनियम-4 के बाद कथित विनियमों में निम्नलिखित 4-ए तथा 5-बी नामक नये विनियमों को जोड़ना पड़ेगा :—

(4-ए) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (जिसे इसके बाद संस्थान कहा जाएगा) के अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों को भी मकान निर्माण अग्रिम धन नीचे दी गई शर्तों के अधीन, दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्वयं वित्त आवास पंजीकरण योजना में सम्मिलित होने के लिए अस्वीकृत किया जा सकता है :—

- (1) भवन निर्माण अग्रिम, 'रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट' के रूप में जमा किये जाने वाले 10,000 रु० के आरम्भिक भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे आवेदक को स्वयं वहन करना पड़ेगा।

- (2) संस्थान के अधिकारी/अन्य कर्मचारी को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लैट आवंटित किये जाने का आवासन मिलने पर, आश्रय मकान निर्माण अग्रिम ऐसे अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों को, जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है, स्वीकृत कर दिया जाएगा। परन्तु भुगतान सीधे दिल्ली विकास प्राधिकरण को पृष्ठांकित किया जाएगा। बशर्ते उसने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्लैटों का आवंटन किये जाने की स्थिति में ऋण तथा उस पर बने ब्याज को भुगतान से सम्बद्ध अनुबंध जो उस समय प्रचलित हो, का उसके द्वारा निष्पादन किये जाने पर भुगतान सीधे दिल्ली विकास प्राधिकरण को पृष्ठांकित कर दिया जाएगा। वह संस्थान के स्थायी अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों से दो जमापतों भी प्रस्तुत करेगा जो निकट भविष्य में सेवा निवृत्त न होने वाले हों। भुगतान दिल्ली विकास प्राधिकरण को निम्न प्रकार किस्तों में किया जाएगा और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि 10,000 रु० की आरम्भिक जमा अग्रिम धन का भाग न बने :—

(ए) आवेदक की स्वीकृति के समय संभावित मूल्य का 25 प्रतिशत (पंजीकरण के लिए जमा राशि सहित)

(बी) बकाया भुगतान निम्नलिखित किस्तों के अनुसार :

- (1) 20 प्रतिशत 6 माह के अन्त में
- (2) 25 प्रतिशत 1 वर्ष के अन्त में
- (3) 20 प्रतिशत डेढ़ वर्ष के अन्त में
- (4) 10 प्रतिशत कब्जा लेते समय।

- (3) दिल्ली विकास प्राधिकरण संस्थान के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का असम से हिसाब रखेगा तथा अग्रिम धन के भुगतान समायोजन उस व्यक्ति द्वारा आवेदित विशेष श्रेणी के प्लैट के निर्माण की लागत के विरुद्ध किया जाएगा।

- (4) प्लैट का निर्माण पूरा हो जाने पर, इसका कब्जा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारियों/अन्य कर्मचारी को दे दिया जाएगा, जो उस प्लैट को संस्थान के पास गिरवी रखेगा।

- (5) अग्रिम धन की सीमा 75 माह के बँतन की वर्तमान उच्चतम सीमा अथवा 70,000 रु० प्लैट की लागत जो भी कम हो, होगी।

- (6) अग्रिम धन की उच्चतम सीमा के अधिक के प्लैट की लागत दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारी/अन्य कर्मचारी द्वारा वहन की जाएगी।

- (7) यदि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का अधिकारी/अन्य कर्मचारी इस योजना से अपने आप को अलग करना चाहे, अथवा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम धन और आवासीय मकान की वास्तविक लागत के बीच के अन्तर की बकाया राशि को पूरा करने में असमर्थ हो तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तुरन्त ही गृह निर्माण अग्रिम धन की वापसी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को की जाएगी।

- (8) संस्थान के हित की रक्षा की दृष्टि से, दिल्ली विकास प्राधिकरण एक त्रि-पक्षीय अनुबंध निष्पादित करेगा।

- (9) मकान निर्माण अग्रिम एवं उस पर ब्याज की अदायगी का प्रकार इन विनियमों के अनुसार होगा। वसूली की पहली किस्त अथवा प्लैट के अधिपत्य देने के 18 मास के अनंतर जो भी पहले हो, आरम्भ होगी।

- (10) भवन निर्माण अग्रिम के प्रथम 25,000 रु० पर ब्याज की दर की राशि की सड़े छः प्रतिशत अथवा अधिक जैसा कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य हो, होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण यद्यपि इस योजना के अन्तर्गत ढाई वर्ष से पूरे प्लैट के अधिपत्य देने पर्यन्त 7 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज देगा। ब्याज में इस प्रकार का कोई लाभ संस्थान को प्राप्त होगा।

4-बी अन्य सार्वजनिक प्रतिकरणों/राज्य आवास बोर्ड/नोएडा इत्यादि द्वारा दिये जाने वाले बने बनाए प्लैटों के क़य करने हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन संस्थान के अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों को भी मकान निर्माण अग्रिम दिया जा सकता है बशर्ते कि ये प्राधिकरण ऐसे अनुबंध की उन्हीं शर्तों पर जो इस प्रकार के मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रयोज्य हो, त्रि-पक्षीय अनुबंध निष्पादित करने को सहमत हों।

- (1) पंजीकरण निक्षेप के प्राथमिक भुगतान के लिए मकान निर्माण अग्रिम प्रदान नहीं किया जाएगा।

- (2) ऐसे प्लैट आवंटन करने वाले अधिकरण से इस आशय के आवासन की प्रार्थना पर कि प्लैट संस्थान के अधिकारी/अन्य कर्मचारी को आवंटित कर दिया जाएगा। उसके आवेदन करने पर मकान निर्माण अग्रिम की अनुमेय राशि अधिकारी/अन्य कर्मचारी को स्वीकृत कर दी जाएगी किन्तु भुगतान सीधे तौर पर उस अधिकरण को उसके द्वारा ऐसे अनुबंध के निष्पादन पर कर दिया जाएगा जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लैटों के आवंटन के सम्बन्ध में ऋण एवं उस पर ब्याज के भुगतान के लिए समय-समय पर प्रयोज्य हो। वह अपने पद तुल्य संस्थान के ऐसे स्थायी अधिकारियों/अन्य कर्मचारियों की प्रतिभू प्रस्तुत करेगा।

- (3) ऐसे प्राधिकरण से अधिपत्य ले लेने के उपरान्त संस्थान का अधिकारी अन्य कर्मचारी प्लैट को संस्थान के पास बंधक रखेगा।

- (4) अग्रिम की राशि वर्तमान 75 माह के बँतन की उच्चतम सीमा अथवा 70,000 रु० अथवा प्लैट की लागत जो भी सर्वाधिक मूल्य हो, तक सीमित रहेगी। तथा ऐसे प्राधिकरण द्वारा की गई निर्दिष्ट मांग के अनुसार किस्तों में दी जाएगी। तथापि जहां मासिक किस्तों एवं एकमुश्त भुगतान के एक भाग की राशि का मामला हो, अग्रिम धन राशि एकमुश्त में ही देने वाली राशि तक सीमित रहेगा।

(5) अग्रिम की उच्चतम सीमा के ऊपर प्लेट की लागत को संस्थान के अधिकारी/अन्य कर्मचारी द्वारा वहन किया जाएगा।

(6) संस्थान का अधिकारी/अन्य कर्मचारी यदि योजना से अपना नाम वापिस लेना चाहता है अथवा संस्थान द्वारा स्वीकृत मकान निर्माण अग्रिम एवं मकान की वास्तविक लागत को प्रदर्शित करने वाले अंतर को शेष राशि के वहन करने में असमर्थ है तो ऐसे प्राधिकरण द्वारा मकान निर्माण अग्रिम की राशि तुरंत संस्थान को लौटा दी जाएगी।

(7) मकान निर्माण अग्रिम एवं उस पर ब्याज के भुगतान का प्रकार इस विषय पर बनाए गए विनियमों के अनुसार होगा। वसूली पहली किश्त के भुगतान अथवा प्लेट के अधिपत्य देने के 18 मास अंतर से जो भी पहले हो, प्रारम्भ होगी।

(8) मकान निर्माण अग्रिम पर ब्याज की दर संस्थान में प्रवृत्त नियमों के अनुसार होगी।

(9) जब तक कि प्लेटों का अधिपत्य कर्मचारी को हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता है ऐसे प्राधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज एवं संस्थान द्वारा कर्मचारी से मकान निर्माण अग्रिम पर वसूली की गई दर के मध्य ब्याज के अंतर की राशि संस्थान को प्राप्त होगी।

4. विनियम 6 का संशोधन :—कथित विनियमों के विनियम 6 में खण्ड (अ) आदि के स्थान पर नीचे लिखा खण्ड कर दिया जाएगा यथा :—

ए—“कर्मचारी द्वारा पहले ही कब्जे में ली गई भूमि पर मकान निर्माण के लिए संस्थान के पास भूमि बंधक कर दिये जाने के बाद ऋण निम्नानुसार दिया जाएगा :—

(1) 20 प्रतिशत जब रिजिस्ट्रार प्लान स्वीकृत कर दिया जाता है ;

(2) 50 प्रतिशत जब निर्माण प्लिथ-स्तर तक पहुंच जाता है ; तथा

(3) 30 प्रतिशत जब मकान छत-स्तर तक पहुंच जाता है।

5. विनियम-7 की प्रतिस्थापना :—कथित विनियमों में विनियम 7 के स्थान पर निम्नांकित विनियम कर दिया जाएगा, यथा :—

“7-इन विनियमों के अधीन प्रदत्त ऋण पर के ऋण दिये जाने की तारीख से साधारण ब्याज लेगा। ब्याज की राशि प्रति मास के अन्तिम दिन के बकाया राशि पर निकाली जाएगी।

ब्याज दर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई दरें ही होंगी। (पैनल ब्याज सहित यदि कोई हो)।”

6. विनियम 9 का संशोधन :—कथित विनियमों के विनियम 9 में धारा 1 के लिए निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

“(1) इन विनियमों के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को स्वीकार किये गये ऋण की राशि इस पर देय ब्याज की राशि से सहित मासिक किश्तों में अधिकतम 20 वर्षों की अवधि में अदा की जाएगी मूलधन की वसूली 180 किश्तों में की जावेगी तथा इस पर देय ब्याज की वसूली 60 किश्तों में अथवा सेवा-निवृत्ति की तारीख की अवधि तक जो भी पहले हो, की जावेगी।

Delhi, the 12th January, 1981

No. F. 11/8/76-LSG(Pt.)/325.—The following amendments made by the Delhi Electric Supply Undertaking, Municipal Corporation of Delhi, under clause (c) of sub-section (1) of Section 98 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 vide Resolution No. 728 dated 29-10-1979 and decision No. 112/DESC dated 24-5-80 and No. 539/DESC dated 10-12-80

of the Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, exercising the powers of DESC/M.C.D. under Sub Section (2) of Section 490 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, in the Delhi Electric Supply Undertaking (Municipal Corporation of Delhi) House Building Loan Regulations, 1972, published vide this Administration's Notification No. F. 2/235/71-LSG dated 6-4-1972 in Part III of the Delhi Gazette, having been approved by the Lt. Governor in pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 480 of the said Act, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 3/6/66-Delhi dated the 19th October, 1966 are hereby published :—

## AMENDMENTS

1. Short title and commencement.—(a) These regulations may be called the Delhi Electric Supply Undertaking (Delhi Municipal Corporation) House Building Loan (Amendment) Regulations, 1980 ;

(b) They shall come into force at once.

2. Substitution of Regulation 3.—In the Delhi Electric Supply Undertaking (Delhi Municipal Corporation) House Building Loan Regulations, 1972 (hereinafter called “the said Regulations”), for the existing regulation No. 3, the following regulation shall be substituted namely :—

“3. Conditions for grant of loan—An applicant for the grant of an advance shall satisfy the following conditions :—

(a) The cost of the house to be built/purchased (excluding the cost of residential plot as mentioned in the sale deed of Land/house) should not exceed seventy five times the pay of an officer/other employee of the Undertaking or Rs. 1,25,000 whichever is less, and applicant should not have availed or any loan or advance for the acquisition of house from any other Government sources, e.g. the Department of Rehabilitation or a Central or State Housing Scheme. Advances may also be granted in cases where the cost of residential plot as mentioned in the sale/lease deed of land/house (flat) does not exceed Rs. 50,000 even though it may exceed 75 times the pay of Officer/other employees of the Undertaking ;

Provided, however, that, where the loan, advance etc., already availed of by an applicant does not exceed the amount admissible under these Regulations it would be open to him to apply for an advance under these regulations on the condition that he undertakes to repay the outstanding loan, advance etc. (together with interest if any, thereon) forthwith, in one lump-sum to the Undertaking. However where both husband and wife, are employed in Central/State Government Public Undertaking, Semi Government Institutions or Local Bodies the pay of both husband and wife will be taken into consideration for the purpose of commutation of cost ceiling limit for purchase of flats or construction of houses, provided the cost ceiling limit does not exceed Rs. 50,000 or 75 months' pay of both husband and wife, whichever is more, subject to the maximum of Rs. 1.25 lakhs. The maximum House Building Advance will, however, continue to be limited to 75 months' pay of the employee applying for the advance. In case where an officer/other employee of the Undertaking makes (or has made) a final withdrawal from his Provident Fund Account in connection with the construction/acquisition of a house or a residential plot, in addition to availing of an advance under these Regulations, the total amount of the advance sanctioned under these Regulations and that withdrawn from the Provident Fund should not exceed 75 times the monthly pay etc., of Rs. 1.25 lacs, whichever is less.



- (b) Neither the applicant nor the applicant's wife/husband/minor child should own house, however, this condition may be relaxed by the Undertaking in exceptional circumstances, as for example, if the applicant or the applicant's wife/husband/minor child own a house in a village, and the applicant happens to own a house jointly with other relations etc. and he desires to build a separate house for himself.
- (c) The floor area of the house to be constructed or purchased should not be less than 22 square meters.
- (d) Notwithstanding the condition at (b) above, loan may also be granted for alterations and additions or reconstructions, including renovation of all residential buildings already owned by an employee within the Union Territory of Delhi requiring municipal sanction."

2. Substitution of Regulation 4.—In the said Regulations, for the existing Regulation No. 4, the following regulation shall be substituted, namely :—

"4. Purpose for which advances may be granted—An advance may be granted for —

- (a) constructing a new house (including the acquisition of a suitable plot of land for the purpose), either at the place of duty or at the place where the officer/employee of the Undertaking proposes to settle after retirement. An application or an advance for purchasing a ready built house or flat may also be considered subject to the conditions laid down in Regulation 3. The maximum amount of advance that can be granted shall be actual cost of the ready built house or flat, or 75 times the monthly pay or amount admissible under Regulations 5 of these Regulations whichever is the last. In the case of low paid employees, the total cost of construction of houses/purchase of houses/flats (excluding the cost of land) shall not exceed Rs. 50,000 even though it may exceed 75 months' pay.
- (b) enlarging living accommodation in an existing house or for alternations and additions or reconstruction including renovation of old residential building already owned by the officer/employee concerned of the Undertaking (or jointly owned with his/her wife/husband) provided that the total cost of the existing structures (excluding land) and the proposed addition and expansion does not exceed 75 times his monthly pay or Rs. 1,25,000 whichever is less. The advances may also be granted in cases where the total cost of existing structures (excluding land) and proposed addition and expansion does not exceed Rs. 50,000 even though it may exceed 75 times the pay of an officer/employee of the Undertaking.
- (c) the repayment of a loan or an advance taken from a Government source or a non-Government source, as contemplated in regulations 3(a) of the said regulation provided that the sanctioning authority is satisfied that the other loans were taken by officer/employee entirely for the purpose of construction of its houses. This facility will, however, not be available, if the construction of the house has already commenced.
- (d) the House Building Advance will be admissible to the employees desirous of purchasing houses/flats from private parties on the following conditions :—
  - (i) the houses/flats to be purchased should be new and unlivid in.
  - (ii) the applicants will have to get the houses/flats valued by Registered valuers and the valuation fee will have to be paid by the applicants themselves."

3. Insertion of new regulations 4A and 4B.—In the said Regulations after regulation 4, the following new regulations 4A and 4B shall be inserted namely :—

"4A. Officers and other employees of the Delhi Electric Supply Undertaking (hereinafter called "the Undertaking") may also be granted House Building Advance to enable them to join Self Financing Housing Registration Scheme of the Delhi Development Authority, subject to the following further conditions —

- (1) House Building Advance will not be granted for the initial payment of Rs. 10,000 as registration deposit. It has to be borne by the applicant himself.
- (2) On receipt of an assurance from the Delhi Development Authority that the flat will be allotted to the officer/other employees of the Undertaking, the amount of House Building Advance permissible will be sanctioned to the such officer/other employees on an application from him, but the payment will be endorsed to the Delhi Development Authority directly on his/her executing an agreement as may be applicable, in the case of allotment of flats by Delhi Development Authority from time to time to repay the loan and interest thereon. He shall also produce two sureties from permanent officers/other employees of the Undertaking of comparable status who are not likely to retire in the near future. The payment will be released to the Delhi Development Authority in instalments as under, due care being taken that the initial deposit of Rs. 10,000 shall not form part of the advance :—
  - (a) 25% (including amount paid as registration deposit) of the expected price at the time of the acceptance of the application.
  - (b) Balance payment in instalments as under :—
    - (i) 20% at the end of 6 months ;
    - (ii) 25% at the end of one year ;
    - (iii) 20% at the end of 1½ years ; and
    - (iv) 10% at the time of taking over possession.
- (3) The Delhi Development Authority shall maintain a separate account for each officer/employee of the Undertaking and adjust the payment of advance against the cost of construction of the particular category of flat applied for by him.
- (4) On completion of the flat, its possession shall be handed over to Officer/other employees of the Undertaking who shall mortgage the flat to the Undertaking.
- (5) The amount of advance will be limited to the present ceiling of 75 months' salary or Rs. 70,000 or the cost of the flat, whichever is the least.
- (6) The cost of the flat over and above the ceiling limit of an advance will be borne by the Officer/other employee of the Undertaking.
- (7) If the Officer/other employee of the Undertaking wants to withdraw from the Scheme or is unable to meet the balance amount representing the difference between the House Building Advance sanctioned by the Undertaking and the actual cost of the House, the amount of House Building Advance shall be refunded forthwith to the Undertaking by Delhi Development Authority.
- (8) With a view to safeguarding the interest of the Undertaking, the Delhi Development Authority will enter into a tripartite agreement.
- (9) The mode of repayment of House Building Advance and interest thereon will be as per these regulations. The recovery shall start after 18 months of the first instalment or possession of the flat, whichever is earlier.

- (10) The rate of interest on House Building Advance for the first Rs. 25,000 will be 6½% of the amount or more as may be applicable to Central Government servants in this regard. The Delhi Development Authority under this Scheme will, however, pay interest @ 7% per annum for a period beyond 2½ years till the flat is offered for possession. Any gain in interest in this way will accrue to the Undertaking.

4B. The Officers/other employees of the Undertaking may also be granted House Building Advance to enable them to purchase built up flats offered by other Public Agencies/State Housing Board/NOIDA etc. If these authorities agree to enter into tripartite agreement on the lines of such an agreement as may be applicable in the case of Delhi Development Authority in such cases and subject to the following conditions :—

- (1) House Building Advance will not be granted for the initial payment of registration deposit. It has to be borne by the applicant himself.
- (2) On receipt of an assurance from such flat allotting agency that the flat will be allotted to the Officer/employee of the Undertaking, the amount of House Building Advance permissible, will be sanctioned to the Officer/other employee on an application from him, but payment will be made directly to that agency on his execution of an agreement as may be applicable, in the case of allotment of flats by Delhi Development Authority from time to time to repay the loan and interest thereon. He shall also produce the sureties from permanent Officers/other employees of the Undertaking of comparable status who are not likely to retire before the advance is due to be repaid.
- (3) The Officer/other employee of the Undertaking shall mortgage the flat to the Undertaking after taking over the possession from such authority.
- (4) The amount of advance will be limited to the present ceiling of 75 months' salary or Rs. 70,000 or the cost of the flat whichever is the least and will be paid in instalments in accordance with demand raised/prescribed by such authority. Where, however, monthly instalments as well as lump sum payment of a part amount involved, the advance will be further restricted to the amount to be paid as lump sum.
- (5) The cost of the flat over and above the ceiling limit of an advance will be borne by the Officer/other employee of the Undertaking.
- (6) If the Officer/other employee of the Undertaking wants to withdraw from the Scheme or is unable to meet the balance amount representing the difference between the House Building Advance

sanctioned by the Undertaking and the actual cost of the house, the amount of House Building Advance shall be refunded forthwith to the Undertaking by such authority.

- (7) The mode of payment of House Building Advance and interest thereon, will be in accordance with the regulations made on the subject. The recovery shall start after 18 months of the payment of first instalment or taking over the possession of the flat, whichever is earlier.
- (8) The rate of interest on House Building Advance will be as per the rules in force in the Undertaking.
- (9) Till the possession of the flat is transferred to the employees, the difference of interest paid by such authorities and rate charged by the Undertaking on the House Building Advance from the employee will accrue to the Undertaking."

4. Amendment of Regulation 6.—In regulation 6 of the said Regulations for Clause (a) etc. following Clause shall be substituted, namely :—

"(a) The loan for construction of a house on land already owned by an employee will be paid as under after the land has been mortgaged to the Undertaking :—

- (i) 20% when the relative plan is sanctioned ;
- (ii) 50% after the construction work has reached plinth level ; and
- (iii) 30% after the house has reached the roof level."

5. Substitution of Regulation 7.—In the said Regulations, the regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely :—

"7. The loan granted under these regulations shall carry simple interest from the date of loan advanced, the amount of interest being calculated on the balances outstanding on the last day of each month.

The rate of interest will be charged (including panel interest, if any) at a rate fixed by the Government of India for its employee from time to time."

6. Amendment of Regulation 9.—In regulation 9 of the said Regulations, the Clause (i), the following Clause shall be substituted, namely :—

"9(i) The loan granted to an employee under these regulations together with the interest thereon shall be paid in full in monthly instalments within a period not exceeding 20 years. The recovery of principal will be in 180 instalments and that of interest in 60 instalments or the period upto the date of retirement, whichever is earlier."

दिल्ली 13, जनवरी 1981

सं० का० 9/47/80 स्था० सं० :—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 3/6/66 दिल्ली, दिनांक 19-10-1966 के साथ पठित दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 480 की उपधारा (2) के अनुसरण में उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित किए जाने पर दिल्ली नगर निगम संकल्प संख्या 36 दिनांक 9-5-1980 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 98 के अधीन, दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा बनाए गए मुख्य निषेधक के पद पर भर्ती के सम्बन्ध में निम्नलिखित विनियमों को इसके द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया जाता है :—

## अनुसूची

मुख्य लिपिक के पद के लिए भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या सी० सी० एस० (पेशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है।	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	6(क)	7
मुख्य लिपिक	47	श्रेणी तृतीय	र० 425-700	गैर चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्वान्तान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाता है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संचरना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाता है।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति उच्च लिपिक के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा।	श्रेणी तृतीय विभागीय पदोन्नति समिति विनियमों को अधिसूचित करने से पूर्व नगर नियम द्वारा संरचना की जाए।	इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में किसी प्रकार का संशोधन/छूट देते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अपेक्षित है।

प्रादेश से,

के० के० शर्मा प्रवर सचिव (स्था० स्वशा०)

New Delhi, the 13th January, 1981

No. F. 9/47/80-LSG.—The following regulations made by the Municipal Corporation of Delhi under Section 98 of the M.C.D. Act, 1957 vide their decision No. 36 dated 9-5-80 in connection with the recruitment for the post of Head Clerk in Water Supply & Sewage Disposal Undertaking having been approved by the Lt. Governor, Delhi in pursuance of the provisions of sub-section(2) of section 480, of the said Act, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. 3/6/66-Delhi, dated 19-10-1966, are hereby published in the schedule below:—

## SCHEDULE

## Recruitment regulations for the post of Head Clerk

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Educational & Other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	(a)	7
Head Clerk	47	Class III	Rs. 425-700	Non-Selection post	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion/deputation/transfer & percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. or by promotion/deputation/transfer, grades from which is to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion	Promotion : U.D.C.s with 5 years regular Service in the grade	Class III D PC(The Composition may be given by the M.C.D. before notifying the regulations.)	Consultation with the UPSC necessary while amending/relaxing any of the provisions of these regulations.

By order,

K.K. SHARMA, Under Secy, (LSG)